52

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय,
सतर्कता विभाग,
प्रयागराज।

प्रणाली सुधार सं. 02/2020
दिनांक 04.03.2020

पत्र संख्या 20180202117/PC/V5/N/JHS

मण्डल रेल प्रबन्धक,
उ.म.रे./प्रयागराज, झाँसी, आगरा
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, झाँसी एवं सिथौली

विषयः– उ.म.रे. में कार्यरत् कर्मचारियों के ड्यूटी हेतु मूवमेंट रजिस्टर बनाये जाने के संबंध में।

उ.म.रे. सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त विषय पर संकेत एवं दूरसंचार विभाग के एक डिपो में किये गये निवारक जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया है कि उक्त डिपो में कार्यरत् कर्मचारियों की रेलवे कार्य के लिए मूवमेंट को अभिलिखित करने हेतु कोई मूवमेंट रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है जिससे टी.ए. बिल की प्राप्ति पर यह सत्यापित करना असंभव है कि उक्त बिल में वर्णित आधिकारिक यात्राएं वास्तव में की गयी थी अथवा नहीं एवं उन यात्राओं के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति थी अथवा नहीं। ऐसी कमियाँ हो सकता है कि अन्य यूनिट्स में भी हो रही होंगी। अतः इस स्थिति के निराकरण के लिए निम्न प्रणाली सुधार की संस्तुति की जाती है:–

संबंधित डिपो व कार्यालयों में किसी जिम्मेदार सुपरवाइजर/कार्यालय अधीक्षक की अभिरक्षा में एक मूवमेंट रजिस्टर बनाया जाए जिसमें सभी आवश्यक कॉलम जैसे–कर्मचारी का नाम, पद, ड्यूटी का उद्देश्य, ड्यूटी के दिनों की संख्या, ड्यूटी कहाँ व किस सेक्शन के कार्य के लिए है एवं मूवमेंट का अनुमोदन किये जाने वाले अधिकारी/सुपरवाइजर का नाम व हस्ताक्षर इत्यादि का पूर्ण ब्यौरा तिथियों सहित मौजूद हो। किसी कारणवश यदि किसी कर्मचारी को बिना मूवमेंट अनुमोदन के ही प्रशासनिक हित में यात्रा पर भेजा जाना नितांत आवश्यक है तो वैसी स्थिति में अगले कार्य दिवस में या कर्मचारी के ड्यूटी से लौटने के पश्चात् यथाशीघ्र उसके मूवमेंट का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन, संबंधित सुपरवाइजर/कार्यालय अधीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों द्वारा क्लेम किये जा रहे टी.ए. बिल की प्राप्ति पर मूवमेंट रजिस्टर से क्रास चेक करके ही टी.ए. का सत्यापन किया जाना चाहिए।

इसे वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

04.03.2020
(धर्मेन्द्र कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/बिजली

प्रतिलिपिः– सभी प्रमुख/मुख्य विभागाध्यक्ष, उ.म.रे., इलाहाबाद–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।